



उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर – एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद – 211013

विज्ञापन संख्या: 09 /2018

दिनांक: 10 –07–2018

अल्पकालीन निविदा सूचना

विश्वविद्यालय, में सेवा प्रदाता एजेन्सी से श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु एतद्वारा सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 25-07-2018 है। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uprtou.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र के साथ रू. 200/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद-211013

निविदा फार्म क्रम संख्या

निविदा फार्म मूल्य रु. 200/-

निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि : दिनांक 25-07-2018

मध्याह्न 1:00 बजे

निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय : दिनांक 25-07-2018

अपराह्न 1:05 बजे

सेवा प्रदाता एजेन्सी से श्रमिक उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

1. धरोहर राशि रु. 50,000/- जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा, संलग्न करें।

2. संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण :

बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम

.....

3. प्रमाणित किया जाता है कि निविदा से सम्बन्धित सभी निर्देश एवं शर्तें पढ़ ली गयी हैं एवं स्वीकार हैं।

4. फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता एवं मोहर

.....

.....

दूरभाष संख्या

मोबाइल नम्बर

नोट : दरों को संलग्न निविदा प्रपत्र पर भरना अनिवार्य है।

संलग्नक : निर्देश एवं नियम

हस्ताक्षर निविदादाता

पता एवं मुहर

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद-211013

सेवा प्रदाता एजेन्सी से श्रमिक उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा प्रपत्र के नियम व शर्त-

1. निविदा कुलसचिव, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को सम्बोधित होगी।
2. निविदा के साथ रु. 50,000/- (रु. पचास हजार रूपया) की अर्नेस्ट मनी के रूप में का बैंक ड्राफ्ट जो "वित्त अधिकारी, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद" के पक्ष में देय हो एवं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बना हो, संलग्न होना चाहिए। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् चयनित फर्म द्वारा धरोहर राशि के रूप में रूपया-2,00,000/- (रु. दो लाख रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो "वित्त अधिकारी, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद" के पक्ष में देय होगा।
4. श्रम कल्याण विभाग द्वारा निर्गत संस्था के पंजीकरण का अभिलेख संलग्न करना होगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी/पारिश्रमिक के देयता का अनुपालन एजेन्सी को करना होगा। किसी प्रकार की अनाधिकृत कटौती मान्य नहीं की जायेगी।
6. एजेन्सी जो EPF, ESI एवं श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हो एवं उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार Employee & Employers अंश की कटौती कर नियमानुसार जमा करती हो द्वारा सम्बन्धित प्रमाण/अभिलेख संलग्न करना होगा।
7. एजेन्सी द्वारा PAN, GST एवं Latest आयकर रिटर्न दाखिल करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदा के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. एजेन्सी के पास Labour Supply का अनुभव हो। इससे सम्बन्धित अनुभव प्रमाण पत्र का साक्ष्य Principal Employer द्वारा निर्गत ही मान्य होगा तथा इसे संलग्न करना होगा।
10. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के अतिरिक्त टैक्सों के देयता की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की ही होगी, Principal Employer की नहीं। नियमानुसार आयकर की कटौती की जाएगी।
11. एजेन्सी सभी प्रकार के करों को समाहित करते हुए अपनी दरें प्रस्तुत करेगी।

नोट :- (1.) तकनीकी एवं दर पक्ष से सम्बन्धित अभिलेख अलग-अलग लिफाफे में रखे जायेंगे। तकनीकी पक्ष से सम्बन्धित लिफाफे पर "तकनीकी पक्ष" तथा दर से सम्बन्धित लिफाफे पर 'दर' शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख कर प्रस्तुत किया जायेगा। तकनीकी पक्ष के शर्तों की पूर्ति होने पर ही दरों का लिफाफा खोला जायेगा।

(2.) किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद-211013

सेवा प्रदाता एजेन्सी से श्रमिक उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा प्रपत्र (दर से सम्बन्धित)

श्रमिक की दैनिक मजदूरी

श्रमिक की दैनिक मजदूरी						
अकुशल श्रमिक	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	E.P.F.	E.S.I.	सेवा शुल्क	अन्य लागू कर GST इत्यादि	कुल दर प्रति श्रमिक
अर्द्धकुशल श्रमिक	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	E.P.F.	E.S.I.	सेवा शुल्क	अन्य लागू कर GST इत्यादि	कुल दर प्रति श्रमिक
कुशल श्रमिक	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	E.P.F.	E.S.I.	सेवा शुल्क	अन्य लागू कर GST इत्यादि	कुल दर प्रति श्रमिक

हस्ताक्षर निविदादाता

पते की मुहर सहित